



# भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-27022024-252437  
CG-DL-E-27022024-252437

असाधारण  
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)  
PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित  
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 129]

नई दिल्ली, मंगलवार, फरवरी 27, 2024/फाल्गुन 8, 1945

No. 129]

NEW DELHI, TUESDAY, FEBRUARY 27, 2024/PHALGUNA 8, 1945

सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय

(विकास आयुक्त का कार्यालय)

(सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 15 फरवरी, 2024

सा.का.नि. 140(अ).—राष्ट्रपति, संविधान के अनुच्छेद 309 के परंतुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, और उद्योग मंत्रालय, लघु उद्योग विकास संगठन के समूह 'क' और 'ख' पद, भर्ती नियम, 2000 को, जहां तक वे सहायक निदेशक श्रेणी- II (सामान्य प्रशासनिक प्रभाग) के पद से संबंधित हैं, उन बातों के सिवाय अधिक्रांत करते हुए, जिन्हें ऐसे अधिक्रमण से पूर्व किया गया है या किये जाने का लोप किया गया है, सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम विकास संगठन, सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय में सहायक निदेशक श्रेणी- II (सामान्य प्रशासनिक प्रभाग) के पद पर भर्ती की पद्धति को विनियमित करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थात्:-

1. संक्षिप्त नाम और प्रारंभ :- (1) इन नियमों का नाम सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय, सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम विकास संगठन, सहायक निदेशक श्रेणी- II (सामान्य प्रशासनिक प्रभाग), समूह 'ख' पद, भर्ती नियम, 2024 है।

(2) ये राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।

2. पदों की संख्या, वर्गीकरण और वेतन मैट्रिक्स में स्तर :- पदों की संख्या, उनका वर्गीकरण, वेतन मैट्रिक्स में स्तर वे होंगे जो इन नियमों के साथ संलग्न अनुसूची के कॉलम (2) से (4) में विनिर्दिष्ट हैं।

3. भर्ती की पद्धति, आयु-सीमा और अर्हताएं आदि :- इस संबंध में भर्ती का तरीका, आयु-सीमा, अर्हताएं और अन्य बातें उपर्युक्त अनुसूची के कॉलम (5) से (13) में दिए गए निर्देशानुसार होंगे।

**4. निरर्हता :-** वह व्यक्ति,-

- (क) जिसने ऐसे व्यक्ति से जिसका पति या जिसकी पत्नी जीवित है, के साथ विवाह किया है; या  
(ख) जिसने अपने पति या अपनी पत्नी के जीवित रहते हुए किसी से विवाह किया है;

उक्त पद पर नियुक्ति का पात्र नहीं होगा:

परन्तु यदि केन्द्रीय सरकार का यह समाधान हो जाता है, ऐसा विवाह ऐसे व्यक्ति और विवाह के अन्य पक्षकार को लागू स्वीय विधि के अधीन अनुज्ञेय है और ऐसा करने के लिए अन्य आधार हैं तो वह किसी व्यक्ति को इस नियम के प्रवर्तन से छूट दे सकेगी।

**5. शिथिल करने की शक्ति :-** जहां केंद्रीय सरकार की यह राय है कि ऐसा करना आवश्यक या समीचीन है, वहां वह उसके लिए जो कारण है उन्हें लेखबद्ध करके और संघ लोक सेवा आयोग के परामर्श से, इन नियमों के किसी उपबंध को किसी वर्ग या प्रवर्ग के व्यक्तियों की बाबत, आदेश द्वारा शिथिल कर सकेगी।

**6. व्यावृत्ति :-** इन नियमों की कोई बात, ऐसे आरक्षण, आयु-सीमा में छूट और अन्य नियायतों पर प्रभाव नहीं डालेगी, जिनका केंद्रीय सरकार द्वारा इस संबंध में समय-समय पर जारी किए गए आदेशों के अनुसार अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, भूतपूर्व सैनिकों और अन्य विशेष प्रवर्ग के व्यक्तियों के लिए उपबंध करना अपेक्षित है।

**अनुसूची**

पद का नाम	पद की संख्या	वर्गीकरण	वेतन-मैट्रिक में वेतन-लेवल	चयन अथवा अचयन पद	सीधी भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए आयु सीमा
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
सहायक निदेशक श्रेणी- II (सामान्य प्रशासनिक प्रभाग)	16* (2024) *कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है।	सामान्य केंद्रीय सेवा, समूह 'ख', राजपत्रित, अननुसचिवीय	स्तर-7 (रुपए 44900-142400)	चयन पद	लागू नहीं होता

सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए अपेक्षित शैक्षिक और अन्य अर्हताएं	सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए विहित आयु और शैक्षिक अर्हताएं प्रोन्नत व्यक्तियों की दशा में लागू होंगी या नहीं।	परिवीक्षा की अवधि, यदि कोई हो	भर्ती की पद्धति: भर्ती सीधी होगी या प्रोन्नति द्वारा या प्रतिनियुक्ति या आमेलन द्वारा तथा विभिन्न पद्धतियों द्वारा भरी जाने वाली रिक्तियों की प्रतिशतता
(7)	(8)	(9)	(10)
लागू नहीं होता	लागू नहीं होता	लागू नहीं होता	प्रोन्नति द्वारा।

प्रोन्नति या प्रतिनियुक्ति या आमेलन द्वारा भर्ती की दशा में वे श्रेणियाँ जिनसे प्रोन्नति या प्रतिनियुक्ति या आमेलन किया जाएगा

(11)

**प्रोन्नति :**

वेतन मैट्रिक्स के स्तर-6 (रु. 35400-112400) में ऐसे कार्यालय अधीक्षक, जिन्होंने उस श्रेणी में पाँच वर्ष की नियमित सेवा की है और सक्षम प्राधिकारी द्वारा निर्धारित दो सप्ताह का प्रशिक्षण सफलतापूर्वक पूरा किया हो।

टिप्पण: जहां ऐसे कनिष्ठ व्यक्तियों के संबंध में, जिन्होंने अपनी अर्हक या पात्रता सेवा पूरी कर ली है, प्रोन्नति के लिए

विचार किया जा रहा हो, वहां उनके ज्येष्ठ व्यक्तियों के संबंध में भी विचार किया जाएगा परंतु यह तब जबकि उसके द्वारा की गई ऐसी अर्हता या पात्रता सेवा, अपेक्षित अर्हक या पात्रता सेवा के आधे से अधिक से या दो वर्ष से, इनमें से जो भी कम हो, कम न हो और उन्होंने अपने ऐसे कनिष्ठ व्यक्तियों सहित, जिन्होंने ऐसी अर्हक या पात्रता सेवा पहले ही पूरी कर ली है, अगली उच्चतर श्रेणी में प्रोन्नति के लिए अपनी परिवीक्षा की अवधि सफलतापूर्वक पूरी कर ली हो।

यदि विभागीय प्रोन्नति समिति है तो उसकी संरचना	भर्ती करने में किन परिस्थितियों में संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श किया जाएगा
(12)	(13)
समूह 'ख' विभागीय प्रोन्नति समिति (प्रोन्नति के लिए) 1. अपर विकास आयुक्त / संयुक्त विकास आयुक्त (प्रशासन), विकास आयुक्त कार्यालय (सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम) - अध्यक्ष; 2. निदेशक / संयुक्त निदेशक, विकास आयुक्त कार्यालय (सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम) - सदस्य; तथा 3. उपनिदेशक (प्रशासन), विकास आयुक्त कार्यालय (सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम) - सदस्य	संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श करना आवश्यक नहीं है।

[सं. ए-12035/03/2023-ए(पीएंडटी)]

गौरव कटियार, संयुक्त निदेशक

**MINISTRY OF MICRO, SMALL AND MEDIUM ENTERPRISES**

**(Office of the Development Commissioner)**

**(Micro, Small and Medium Enterprises)**

**NOTIFICATION**

New Delhi, the 15th February 2024

**G.S.R. 140(E).**—In exercise of the powers conferred by the proviso to article 309 of the Constitution, and in supersession of the Ministry of Industry, Small Industry Development Organisation, Group 'A' and 'B' posts, Recruitment Rules, 2000, in so far as they relate to the post of Assistant Director Grade-II (General Administrative Division), except as respects things done or omitted to be done before such supersession, the President hereby makes the following rules regulating the method of recruitment to the post of the Assistant Director Grade-II (General Administrative Division) in the Ministry of Micro Small and Medium Enterprises, the Micro, Small and Medium Enterprises Development Organisation, namely: -

1. **Short title and commencement.**- (1) These rules may be called the Ministry of Micro Small and Medium Enterprises, the Micro, Small and Medium Enterprises Development Organisation, Assistant Director Grade-II (General Administrative Division), Group 'B' post, Recruitment Rules, 2024.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. **Number of post, classification and level in pay matrix.** - The number of post, its classification and level in the pay matrix attached thereto shall be as specified in columns (2) to (4) of the Schedule annexed to these rules.

3. **Method of recruitment, age-limit, qualifications, etc.** - The method of recruitment, age-limit, qualifications and other matters relating thereto, shall be as specified in columns (5) to (13) of the aforesaid Schedule.

4. **Disqualification.** – No person,-

- (a) who has entered into or contracted a marriage with a person having a spouse living; or  
 (b) who, having a spouse living, has entered into or contracted a marriage with any person,  
 shall be eligible for appointment to the said post:

Provided that the Central Government may, if satisfied that such marriage is permissible under the personal law applicable to such person and the other party to the marriage and that there are other grounds for so doing, exempt any person from the operation of this rule.

5. **Power to Relax.** – Where the Central Government is of the opinion that it is necessary or expedient so to do, it may, by order and for reasons to be recorded in writing and in consultation with the Union Public Service Commission, relax any of the provisions of these rules with respect to any class or category of persons.

6. **Saving.** – Nothing in these rules shall affect reservation, relaxation of age-limit and other concessions required to be provided for the Scheduled Castes, the Scheduled Tribes, Ex-servicemen and other special categories of persons in accordance with the orders issued by the Central Government from time to time in this regard.

**SCHEDULE**

Name of Post.	Number of post.	Classification.	Level in the pay matrix.	Whether Selection or Non-Selection post.	Age-limit for direct recruitment.
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Assistant Director Grade-II (General Administrative Division).	16*(2024) *Subject to variation dependent on workload.	General Central Service, Group 'B', Gazetted, Non-Ministerial.	Level-7, (Rs. 44900-142400).	Selection post.	Not applicable.

Educational and other qualification required for direct recruits.	Whether age and educational qualification prescribed for direct recruits will apply in the case of promotes.	Period of probation, if any	Method of recruitment whether by direct recruitment or by promotion or by deputation/absorption and percentage of the posts to be filled by various methods.
(7)	(8)	(9)	(10)
Not applicable.	Not applicable.	Not applicable.	By promotion.

**In case of recruitment by promotion or deputation or absorption, grades from which promotion or deputation or absorption to be made.**

(11)

**Promotion:**

Office Superintendent in Level 6(Rs. 35400 - 112400) in the pay matrix with five years' regular service in the grade and having successfully completed two weeks of training as prescribed by the competent authority.

**Note:** Where juniors who have completed their qualifying or eligibility service are being considered for promotion, their seniors would also be considered provided they are not short of the requisite qualifying or eligibility service by more than half of such qualifying or eligibility service or two years, whichever is less and have successfully completed their probation period for promotion to the next higher grade along with their juniors who have already completed such qualifying or eligibility service.

<b>If a Departmental Promotion committee exists, what is its composition.</b>	<b>Circumstances in which Union Public Service commission is to be consulted in making recruitment.</b>
(12)	(13)
Departmental Promotion Committee (for considering promotion) consisting of: 1. Additional Development Commissioner or Joint Development Commissioner (Administration), Office of Development Commissioner (Micro, Small and Medium Enterprises) – Chairperson; 2. Director or Joint Director, Office of Development Commissioner (Micro, Small and Medium Enterprises) – Member; and 3. Deputy Director (Administration), Office of Development Commissioner (Micro, Small and Medium Enterprises) – Member.	Consultation with Union Public Service Commission is not necessary.

[F. No. A-12035/03/2023-A(P&amp;T)]

GAURAV KATIYAR, Jt. Director